(40)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 2478 स्थापना / प्रशासन / 2002 बिलासपुर, दिनांक 02 / 11 / 2002

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.10.2002 के विषय क्रमांक 04 में लिये गये निर्णयानुसार स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान के केमिकल इंजीनियरिंग विषय के अनारक्षित आचार्य पद पर चयन हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए गुणानुक्रम में क्रमांक 01 पर चयनित **डॉ.समरेन्द्र नाथ साहा** को **आचार्य** के पद पर वेतनमान रूपये 16400–450–20900–500–22400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीविक्षावधि पर नियुक्त किया जाता है।

इनका वेतन मूलभूत नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जावेगा।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत भत्ते देय होंगे।

इस मद में होने वाला व्यय स्ववित्तीय योजना के अन्तर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान के बजट से विकलनीय होगा।

इनकी सेवा शर्तें अध्यादेश क्रमांक 04 एवं परीनियम 31 के अंतर्गत संचालित होगी।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

(डॉ.एस.के.राजू)
आई.ए.एस.
कुलसचिव

पृ.क्र. 2479 / स्थापना / प्रशासन / 2002 बिलासपुर, दिनांक 02 / 11 / 2002

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक की ओर कुलपति जी / कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ / अभिलेख हेतु।
6. निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. डॉ.समरेन्द्र नाथ साहा, प्रोफेसर्स क्वार्टर, बेअंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, गुरदासपुर (पंजाब) को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से **30** दिन के अंदर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता / पात्रता प्रमाण पत्र, यदि सेवा में हों तो नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।
8. वित्ताधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर।
9. निजी नस्ती।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)